वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल (VPI)

नव-नियुक्त पदाधिकारी हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU)

पक्षकार

प्रथम पक्ष: वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल (VPI)

द्वितीय पक्ष: पदाधिकारी पद हेतु आवेदन करने वाला सदस्य

प्रस्तावना

भारत और दुनिया के अन्य देशों के एक व्यवस्थित और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र पार्टी देने के लिए दीर्घकालिक उद्देश्य पर बनाई गई वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल एक वैचारिक, अनुशासित एवं कैडर-आधारित राजनीतिक संगठन है। संगठन की एकता, अखंडता, कार्यकुशलता तथा दीर्घकालीन उद्देश्यों की रक्षा के लिए प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों, सिद्धांतों एवं परंपराओं का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

द्वितीय पक्ष इन शर्तों को समझकर एवं स्वेच्छा से स्वीकार करके पदाधिकारी पद ग्रहण करेगा।

भाग-1 : पदाधिकारी बनने के लिए योग्यता

1. पदाधिकारी बनने से पूर्व द्वितीय पक्ष पार्टी के संविधान के अनुसार नियमित ऑनलाइन या ऑफलाइन सदस्यता ग्रहण करेगा।
2. द्वितीय पक्ष पार्टी द्वारा आयोजित अनिवार्य चार दिवसीय कैडर प्रशिक्षण पूर्ण करेगा तथा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। पदाधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
3. प्रशिक्षण के दौरान पार्टी की विचारधारा, संविधान, परंपराओं, संगठनात्मक ढांचे तथा अनुशासन व्यवस्था का अध्ययन करेगा।

भाग-2 : संविधान, परंपरा एवं अनुशासन

4. द्वितीय पक्ष पार्टी के संविधान, नियमावली, परंपराओं एवं वैध निर्णयों का पालन करेगा।
5. द्वितीय पक्ष पार्टी में प्रचलित वर्टिकल गार्जियनशिप (Vertical Guardianship) के सिद्धांत का सम्मान एवं पालन करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार पार्टी का पदाधिकारी केवल उस स्तर के कर का नेतृत्व करेगा, जो उसके अधिकार क्षेत्र में संविधान प्रदत्त है।
6. द्वितीय पक्ष अपने स्तर से उच्च स्तर के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए वैध निर्देशों का सम्मान करेगा तथा उनका अनुपालन करेगा।
7. पार्टी की अनुशासन व्यवस्था को सैनिक संगठन जैसी अनुशासन प्रणाली के रूप में स्वीकार करेगा।
8. किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया अथवा मीडिया के माध्यम से पार्टी नेतृत्व, पार्टी निर्णयों अथवा पदाधिकारियों के विरुद्ध अभियान नहीं चलाएगा। ऐसा करना दंडनीय कार्य है.

भाग-3 : संगठनात्मक संरचना एवं निर्णय प्रक्रिया

9. पार्टी की विभिन्न समितियों में प्रत्येक विषय पर खुली चर्चा एवं विचार-विमर्श किया जा सकता है।
10. समिति में चर्चा के उपरांत अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित समिति के अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा और वही समिति का लोकतांत्रिक निर्णय माना जाएगा।
11. नीति-निर्धारण, आपातकालीन निर्णय, अंतर-संगठनात्मक विवाद, विवादास्पद विषयों और बाहर के संगठनों के साथ संवाद और सबंधों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय समिति को होगा।
12. पार्टी की एकता, अखंडता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी की सर्वोच्च संप्रभुता संविधान द्वारा निर्दिष्ट सर्वोच्च नेतृत्व में निहित होगी। द्वितीय पक्ष इस परंपरा का सम्मान करेगा।

भाग-4 : पारस्परिक संबंध एवं हायरार्की

13. यदि दो मित्र या परिचित पार्टी की अलग-अलग स्तर की समितियों में कार्यरत हों, तो उनके व्यक्तिगत संबंधों के स्थान पर संगठनात्मक हायरार्की लागू होगी।
14. निम्न स्तर की समिति में कार्यरत पदाधिकारी को उच्च स्तर की समिति में कार्यरत पदाधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करना होगा।
15. संगठनात्मक मामलों में व्यक्तिगत मित्रता, पारिवारिक संबंध अथवा निजी समीकरणों को निर्णय प्रक्रिया पर प्रभावी नहीं होने दिया जाएगा।

भाग-5 : व्यक्तिगत अपेक्षाओं का निषेध

16. द्वितीय पक्ष पार्टी में अपेक्षित पद, टिकट, चुनावी अवसर, अनुदान, संसाधन पार्टी से प्राप्त करने को अपना व्यक्तिगत अधिकार नहीं मानेगा। अपने पद पर काम करने के लिए संसाधनों का प्रबंध करना पदाधिकारी की योग्यता मानी जएगी।
17. चुनाव के समय टिकट प्राप्त करने, टिकट वितरण में हस्तक्षेप करने अथवा किसी पद पर नियुक्ति का एकाधिकार प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करेगा।
18. द्वितीय पक्ष यह स्वीकार करेगा कि पार्टी में जिम्मेदारियां योग्यता, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अनुशासन, पार्टी संप्रभुता के प्रति सम्मान प्रदर्शन एवं संगठनात्मक हितों के आधार पर प्रदान की जाती हैं।
19. पार्टी में कार्य करने का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ, प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक अवसर प्राप्त करना नहीं होगा।

भाग-6 : आत्म प्रचार एवं सार्वजनिक व्यवहार

20. द्वितीय पक्ष पार्टी की प्रचार सामग्री में अपना नाम, फोटो, मंच पर अपना आसन, वक्तव्य अथवा व्यक्तिगत प्रचार कराने की अपेक्षा नहीं करेगा।
21. पार्टी का प्रचार, व्यक्ति-पूजा के स्थान पर विचार, नीति और संगठन के आधार पर किया जाएगा।
22. पार्टी के नाम, पद अथवा लेटरहेड का उपयोग निजी, व्यावसायिक अथवा आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।

भाग-7 : निष्ठा एवं हितों का टकराव

23. द्वितीय पक्ष शपथ पत्र द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करेगा कि वह किसी अन्य पंजीकृत राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है।
24. पार्टी की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल, मोर्चे अथवा संगठन के पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

25. पार्टी के गोपनीय दस्तावेज, रणनीतियां, सदस्य सूची, वित्तीय सूचनाएं अथवा आंतरिक चर्चाएं किसी बाहरी व्यक्ति अथवा संगठन को उपलब्ध नहीं कराएगा।

भाग-8 : भ्रष्टाचार एवं वित्तीय आचरण

26. पार्टी के धन, संसाधनों एवं संपत्तियों का उपयोग केवल अधिकृत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
27. पार्टी के नाम पर धन संग्रह, सदस्यता शुल्क संग्रह अथवा आर्थिक लेन-देन केवल अधिकृत व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाएगा।
28. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, फिजूलखर्ची, गबन, रिश्वत, कमीशनखोरी अथवा संसाधनों के दुरुपयोग को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।

भाग-9 : एकता एवं अखंडता

29. द्वितीय पक्ष ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे पार्टी की एकता, अखंडता, प्रतिष्ठा अथवा कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचे।
30. पार्टी के किसी पदाधिकारी की छवि खराब करने के लिए कोई कार्य और आचरण, गुटबाजी, समानांतर नेतृत्व, समानांतर संगठन निर्माण अथवा संगठन विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
31. किसी मतभेद की स्थिति में निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से यह ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से समाधान पाने का प्रयास करेगा।

घोषणा

मैं, अधोहस्ताक्षरी, उपर्युक्त सभी शर्तों, सिद्धांतों एवं दायित्वों को पढ़कर, समझकर एवं स्वेच्छा से स्वीकार करता/करती हूं तथा पदाधिकारी बनने पर इनके पालन का वचन देता/देती हूं।

दिनांक: ____

स्थान: ____

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष): _____

नाम: _____

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष): _____

नाम एवं पद: _____